

नमस्कार साथियों,

आज जिस विषय पर बात करने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं वह है **Psychotropic and Narcotics Drug** उम्मीद करता हूँ कि आप को इस विषय की **basic Detail** पता होगी जैसे कि **NDPC Act**. यह एक्ट 14 नवम्बर, 1985 से लागू किया गया है। आखिर यह एक्ट क्यों इस देश में लाना पड़ा आप जानते होंगे कि गांजा, भांग, चरस, **OPIUM**, कोका और अफीम। इनका इस्तेमाल दवाईयां बनाने के लिए किया जाता है। परन्तु जब लोग इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगते हैं तो **overuse** के कारण यह देश समाज और उस इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है जो इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं, तब सरकार द्वारा 1985 में इसको बेचने बनाने उगाने आदि के लिए नियम बनाए गए जिसमें इसका गलत प्रयोग करने पर सजा का भी प्रावधान रख गया है। जिसके बाद समय समय पर स्थिति/मांग अनुसार 1988/2001 2014 में इस एक्ट में **amendments** भी किए गए।

हमारी सरकार द्वारा इसी के निरंतर में सन 2018 में **Drugs Demand Reduction** योजना को लागू किया जा चुका है जिसमें 2025 को ध्यान में रखते हुए **long term** रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे

- Preventive education
- Awareness generation
- Capacity Building
- उपचार और पुर्नवास

इसमें राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा मिल कर **drugs demand** को कम करने के लिए कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। साथियों जाने अनजाने में हमारे बहुत से युवा व अन्य इस नशे की आदत में घिर गए हैं यह देश समाज और स्वयं उसके व उसके परिवार के लिए बहुत घातक है क्योंकि पड़ोसी देश इस नशे के व्यापार से हमारे देश से ही पैसा कमा कर व उस पैसे से हथियार व गोला बारूद खरीद कर हमारे ही सैनिकों पर हमला करते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस सभा में मौजूद आप सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय पर बे वजय राजनीति ना करते हुए हम सब मिल कर इस नशे से खुद को व अपने देशवासियों को सुरक्षित करें और एक नार बुलंद करें **SAY NO TO DRUGS**.

नमस्कार साथियों

इस मंच के माध्यम से मैं मनोज तिवारी BJP पार्टी के 2019 के घोषणा पत्र में शामिल **Uniform Civil Code** पर आपने विचार आप लोगो के सामने रखने आया हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय पर बे वजह राजनीति ना करते हुए भारत की तरक्की के लिए इसको लागू कराने के लिए हमारा साथ दोगें।

भारत में **UCC** को लेकर केवल बहस ही चल रही जबकि ऐसे बहुत से देश हैं जो कि इसको लागू भी चुके हैं। इसमें **Pakistan, Turkey, Indonesia, Malaysia Sudan, Egypt** जैसे देश शामिल हैं। यदि मेरे साथी इस मसले को समझना चाहते हैं तो आप आज यहां एक दम सही जगह पर हैं। **UCC** का अर्थ है समान नागरिक संहिता यानि देश में प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून फिर चाहे वो किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय का हो **UCC** लागू होने पर देश में सभी धर्मों के लोगो पर शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने विरास्त, संपत्ति बटवारे को लेकर एक ही कानून लागू होगा। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को कोई अलग से लाभ प्राप्त नहीं होगा। इन मुद्दों से जुड़े विवाद जो कई सालों से न्याय पालिका में लम्बित पड़े हैं उन पर भी जल्द फैसला होगा और न्याय पालिका का बोझ कम होगा। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि कुछ धर्मों के **Personal Law** में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं इससे उनके अधिकारों में इजाफा होगा। परन्तु विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तथा अपनी पार्टी का असतित्व बचाये रखने के लिए बे वजह देश तथा सबकी तरक्की के लिए जरूरी इस कानून को लागू ना करने के लिए अपना जोर लगा रहीं हैं। मैं मनोज तिवारी इस मंच के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि यदि यह कानून लागू होता है तो खासकर महिलाओं तथा देश की तरक्की के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी सरकार इसको लागू करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है।

भारत माता की जय।